

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय
केरल, एम.जी.रोड, डाक थैला सं 5607,
तिरुवनंतपुरम - 695 039
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)
KERALA, M.G. ROAD, P.B. NO. 5607
THIRUVANANTHAPURAM - 695 039

H/No. .P.19/II/.DRSSA-115/UP/ 2018-19

दिनांक / Date %%/10/2018......

To

All District/ Sub Treasury Officers

Sir,

Sub:Payment of Dearness Allowance @139% of Basic Pay w.e.f. 01/07/2017 to the employees of the State and aided educational & technical educational institutions and urban local bodies of Uttar Pradesh State Government.

Ref: 1.SSA No. Pension (Misc)/ Dearness Relief?AG-167/1360 dated 30/08/2018 of the office of the Accountant General (A&E)-II,Uttar Pradesh.
2.Letter No. 10/2017-P.C-1-791/X-2017-8(M)/2016 dated 12/12/2017 from the Secretary, Government of Uttar Pradesh.

I am to enclose herewith the copy of SSA received from the Accountant General (A&E)-II, Uttar Pradesh which encloses a letter from the Secretary, Government of Uttar Pradesh regarding the Payment of Dearness Allowance @139% of the Basic Pay w.e.f. 01/07/2017 to the Uttar Pradesh employees of the State and aided educational & technical & educational institutions and urban local bodies. The same is being placed in the official website of the office (www.agker.cag.gov.in) under the link "Treasury endorsement of orders for other state pensioners". A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasury.

Yours faithfully

Accounts Officer

Copy to:-

The Director of Treasuries Thiruvananthapuram

**Accounts Officer** 

दूरभाष / Telephone: 0471 - 2330311

फैक्स / Fax : 0471 - 2330242

तार / Grams: ACCOUNTS TRIVANDRUM

इ-मेल / E-mail : agaekerala@dataone.in

Website: http://www.agker.cag.gov.in

Pes/12/0RS50/NS

PM 2 407. 2018-19.

**By Speed Post** 



Office of the Accountant General (A&E)-II,UP 20, Sarojini Naidu Marg, Allahabad 211001 Phones: Off. 2622625-26 Fax; 0532-2624402

**Under Special Seal** 

Circular No:- Pension (Misc)/Dearness Relief/AG-167/1360 Dated: 30/08/2018

To,

Accountant General (A&E),

Kerala, M.G. Road,

Thiruvanantpuram - 695001

Subject:- Grant of Dearness Relief to state Government's civil / Family pensioners.

I am forwarding herewith copy of office G.O. No. 10/2017-वे0आ0-1-791/दस-2017-8(एम)/2016 dt. 12.12.2017 of U.P. govt. Lucknow on the subject cited above for necessary action please.

Encl:- As stated above

Yours Faithfully,

**Accounts Officer** 

70

P19

# संख्या-10/2017-वे0आ0-1-791 /दस-2017-8(एम)/2016

प्रेषक.

मुकेश मित्तल, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

#### सेवा में,

- (1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- (2) वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविघालय, उत्तर प्रदेश
- (3) शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा/शिक्षा निदेशक (बेसिक/माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।
- (4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
- (5) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, 8वॉ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- (6) समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
- (7) निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

## वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1

लखनऊ दिनांक 12 दिसम्बर, 2017

विषय- राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के ऐसे कर्मचारियों, जिनके द्वारा वेतन समिति, उ०प्र० (२०१६) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार दिनांक ०१ जनवरी, २०१६ से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का चयन नहीं किया गया है अथवा जिनके वेतनमान दिनांक ०१-०१-२०१६ से पुनरीक्षित नहीं हुए है, को महंगाई भत्ते का दिनांक ०१-०७-२०१७ से बढी हुई दर पर भुगतान।

## पठित निम्नितिखित

- (1) शासनादेश संख्या-04/2017-वे0आ0-1-466/दस-2017-08(एम)/2016, दिनांक 13 जुलाई, 2017
- (2) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन-संख्या-1/3/2008-ई-II(बी), दिनांक 26 सितम्बर, 2017

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-04/2017-वे0आ0-1-466/दस-2017-08(एम)/2016, दिनांक 13 जुलाई, 2017 के क्रम

<sup>1-</sup> यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

में राज्यपाल महोदय प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों तथा यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत ऐसे पदधारकों, जिनके द्वारा वेतन समिति, उत्तर प्रदेश (2016) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का चयन नहीं किया गया है अथवा जिन पर पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लागू नहीं है अथवा जिनके वेतनमान दिनांक 01-01-2016 से पुनरीक्षित नहीं हुये हैं को संशोधित दर पर मंहगाई भत्ते का दिनांक 01 जुलाई, 2017 से निम्नानुसार भुगतान की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-

तिथि जब से देय है

महंगाई भत्ते की मासिक दर

01-07-2017

मूल वेतन का 139 प्रतिशत

- 2- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या-वे0आ0-1-1599/दस-42(एम)/97, दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर-5 में उल्लिखित प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।
- 3- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के आगणन हेतु 'मूल वेतन' का तात्पर्य दिनांक 01-01-2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन बैण्ड में वेतन तथा अनुमन्य 'ग्रेड वेतन' के योग से होगा, किन्तु नियत वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जायेगा। परन्तु उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन/भत्ता, वैयिक्तक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे मूल नियम के अंतर्गत वेतन की परिभाषा में आते हों, को मूल वेतन के साथ सिम्मिलत नहीं किया जायेगा। परन्तु प्रैक्टिस बन्दी भत्ता को 'वेतन' का अंश माना जायेगा अर्थात प्रैक्टिस बन्दी भत्ता को महंगाई भत्ता के आगणन हेतु सिम्मिलत किया जायेगा।
- 4- महंगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय

<sup>1-</sup> यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नियम-9(21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जायेगा।

- 5- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता उन कर्मचारियों/शिक्षकों को भी, जो प्रभावी तिथि को सेवारत थे किन्तु इस शासनादेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवायें चाहे जिन कारणों से यथा अनुशासनिक कारणों से या त्याग-पन्न, सेवा-निवृत्त, मृत्यु या सेवा-मुक्त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त हो गयी हो, सेवा-समाप्ति, सेवा-निवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा।
- 6- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।
- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत दरों पर महंगाई भत्ते की दिनांक 01 जुलाई, 2017 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 तक की देय अवशेष धनराशि अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में, अवशेष धनराशि पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी और इस प्रकार जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 जनवरी, 2018 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा। इस प्रकार भविष्य निधि खाते में अवशेष धनराशि दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 तक सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उन मामलों को छोडकर जिनमें भविष्य निधि नियमों के अतंर्गत अन्तिम प्रत्याहरण (Final Withdrawal) देय हो जाये, उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। इन आदेशों द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते की बढी हुई धनराशि का भुगतान दिनांक 01 जनवरी, 2018 (माह जनवरी, 2018 का भूगतान दिनांक 01 फरवरी, 2018 को देय) से नगद किया जायेगा। ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनका भविष्य निधि खाता न खुला हो, उनको देय अवशेष की धनराशि को उनके पी0पी0एफ0 खाते में जमा किया जायेगा अथवा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दिया जायेगा। परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो वह उसे नगद दी जायेगी।
- 8- रा य पेंशन योजना (N.P.S) से आच्छादित कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते के एरियर की राशि के 10 प्रतिशत के बराबर राशि कर्मचारियों के टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जायेगी तथा राज्य सरकार/नियोक्ता द्वारा समतुल्य अंशदान टियर-1 पेंशन

<sup>1-</sup> यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

खाते में जमा किया जायेगा। एरियर की शेष 90 प्रतिशत राशि सम्बन्धित कर्मचारियों को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दी जायेगी अथवा उनके पी0पी0एफ0 में जमा किया जायेगा।

- 9- मंहगाई भत्ते की सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाने वाली अवशेष धनराशि से सम्बन्धित बिल/शेडयूल/चालान पर शासनादेश संख्या-सा-4-12/दस-97-500(1)/97, दिनांक 07 अक्टूबर, 1997 में निहित ओदशानुसार निर्धारित मोहर लगायी जानी चाहिए।
- 10- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गयी हों अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु प्राप्त कर दिनांक 01 जुलाई, 2017 से शासनादेश निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गये हों अथवा 06 माह के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको देय मंहगाई भत्ते के बकाये की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

भवदीय,

मुकेश मित्तल सचिव।

## संख्या- 10/2017-वे0आ0-1-791(1)/दस-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 एवं 2 तथा (आडिट)-1 एवं 2 उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (2) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (3) समस्त मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- (4) वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (व्यय विभाग) कमरा नं0-261, नार्थ व्लाक, नई दिल्ली-110001
- (5) प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय लखनऊ ।
- (6) प्रमुख सचिव, विधान सभा/परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
- (7) महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- (8) रीजनल प्राविडेट फण्ड कमिश्नर, कानप्र।
- (9) अपर निदेशक, कोषागार शिविर कार्यालय, नवीन कोषागार भवन (प्रथम तल)

<sup>1-</sup> यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कचहरी रोड, इलाहाबाद।

- (10) निदेशक, पंचायती राज (लेखा) इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश; लखनऊ (90 अतिरिक्त प्रतियो सिहत जो समस्त वित्तीय परार्मशदाता, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश को भेजी जायेगी)।
- (11) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (12) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- (13) शिक्षा अनुभाग-3,5,6,8 और 11, उच्च शिक्षा अनुभाग-2 व 4, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 व 2, नगर विकास अनुभाग-1 तथा पंचायती राज अनुभाग-1, सावर्जनिक उदयम अनुभाग-1 व 2 (अतिरिक्त प्रतियों सहित)
- (14) इरला चेक अनुभाग/इरला चेक (वेतन पर्ची प्रकोष्ठ)
- (15) वित्त (ई-6), वित्त (सामान्य) अनु0-1 व 2, पुनर्गठन समन्वय अनुभाग, चिकित्सा अनु0-2, कृषि अनु0-8, पंचायती राज अनु0-3, आवास अनु0-2, नगर विकास अनु0-3
- (16) सचिवालय के अन्य समस्त अनुभाग।
- (17) महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहराद्वी

आजा से,

के0एल0 वर्मा उप सचिव।

<sup>1-</sup> यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

#### No.10/2017-P.C-1-791/X-2017-8(M)/2016

From

Mukesh Mittal Secretary Government of Uttar Pradesh

To

- (1) All Heads of Departments & Heads of Main Offices, Uttar Pradesh
- (2) Finance Officer/Registrar, All State Universities, Uttar Pradesh
- (3) Director of Education, Higher Education/ Director of Education(Basic/Secondary) Uttar Pradesh, Allahabad/Lucknow.
- (4) Director of Technical Education, Uttar Pradesh, Kanpur
- (5) Director, Local Bodies, Uttar Pradesh, 8th floor, Indira Bhawan, Lucknow.
- (6) All Chairman, District Panchayat, Uttar Pradesh
- (7) Director, Panchayati Raj Department, Uttar Pradesh, Lucknow

Finance (Pay Commission) Section-1

Lucknow, Dated 12th December 2017

Sub:- Payment of dearness allowance at increased rates w.e.f. 01.07.2017 to those employees of the State and aided educational & technical educational institutions and urban local bodies who have not opted for the revised pay matrix from 01<sup>st</sup> January, 2016 as per the decision taken on the recommendation of the first report of Pay Committee, U.P (2016) or whose pay has not been revised from 01.01.2016.

#### Read with the following

- (1) Government Order No.04/2017-P.C-1-466/X-2017-08(M)/2016 dated 13<sup>th</sup> July, 2017
- (2) Government of India, Department of Finance, Department of Expenditure Memorandum No.1/3/2008-E-II (B) dated 26<sup>th</sup> September, 2017

Sir,

On the above mentioned subject, I have been directed to state that in continuation to GO No. 04/2017-P.C-I-466/X-2017-08(M)/2016 dated 13<sup>th</sup> July, 2017, the Honourable Governor is pleased to accord sanction for payment of dearness allowance at increased rate from 01<sup>st</sup> July, 2017, as shown below, to all the full time regular employees of the State and regular and full time employees of aided educational & technical educational institutions and urban local bodies and those incumbents working in U.G.C pay scales who have not opted for the revised pay matrix w.e.f. 01<sup>st</sup> January, 2016 as per the decision taken on the recommendations of the first report of Pay Committee, U.P. (2016) or those on whom the revised pay matrix is not applicable or those whose pay has not been revised from 01.01.2016:

Due date of payment	Monthly rate of Dearness Allowance
01-07-2017	139 Percent of Basic Pay

2- With regard to the dearness allowance sanctioned vide this GO, the provisions as mentioned in the para 5 of the GO no. P.C.-1-1599-/X-42(M)/97, dated 23<sup>rd</sup> November, 1998 shall continue to be applicable as such.

- For the calculation of dearness allowance sanctioned through this GO, "Basic Pay" means the sum of pay and admissible "grade pay" in the admissible pay band in the revised pay structure with effect from 01.01.2006, but only the pay permissible in the fixed pay scale will be treated as basic pay. Though, apart from the above mentioned, other types of pay viz. special pay, border special pay/allowance, personal pay, deputation allowance/pay and other allowances etc. come under the definition of basic pay under Fundamental Rules, it shall not be incorporated with the basic pay. But, the non-practicing allowance will be considered as a part of "Pay" i.e., the non-practicing allowance will be incorporated for the calculation of dearness allowance.
- 4- Dearness allowance will be considered as a specific factor and will not be considered as pay under Finance Rule 9(21)
- 5- Dearness Allowance sanctioned vide these orders shall be admissible upto the date of termination of service, retirement etc. to those employees/teachers, who were in service on the date of effect, but whose services have been terminated before the issue of this G.O. either due to disciplinary reasons or reasons such as resignation, retirement, death or dismissal or abolition of sanctioned posts.
- 6- The payable amount of Dearness Allowance sanctioned vide these orders shall be rounded off to the next complete rupee, i.e. 50 paise or more shall be rounded off to next higher rupee and amount less than 50 paise shall be ignored.
- The amount of arrears of Dearness Allowance payable from 1st July, 2017 to 31st December, 2017 at the revised rates sanctioned vide these Orders shall be deposited in the Provident Fund account of the officer/employee subject to the facility of deduction of Income tax and surcharge payable on the arrear amount and the amount credited as such shall be treated as credited in the PF account w.e.f. 1st January 2018 and interest on the above amount from this date shall be payable at the rate applicable on PF. The arrear amount credited in the PF account as such shall be in the credit of the concerned officer/employee upto 31st December 2018 and it cannot be withdrawn before the above date, except for those cases, where final withdrawal is due under Provident Fund Rules. Payment of the enhanced amount of Dearness Allowance sanctioned vide these orders shall be made in cash w.e.f. 1st January 2018 (payment of January, 2018 is due on 1st February, 2018). Such officer/employee, whose PF account has not been opened, arrear amount payable shall be given in the form of National Savings Certificate (NSC), but that part of the amount for which certificate is not available, shall be paid in cash.
- 8- Amount equivalent to 10% of the arrear amount of Dearness Allowance payable to the employees covered by the National Pension System (NPS) shall be credited in Tear-1 pension account of the employees and equivalent contribution by the State Government/Employer shall be credited in Tear-1 pension account. The remaining 90% amount of arrear shall be given to the concerned employees in the form of National Savings Certificate (NSC) or credited in their P.P.F. account.
- 9- As per the orders contained in GO No.l-4-12/X-97-500(1)/97 dated 07.10.1997, prescribed seal should be affixed on the bill/schedule/chalan regarding the arrear amount of Dearness Allowance being credited in the GPF account.
- 10- Payment of full amount of arrears of Dearness Allowance shall be made in cash to those officers/ employees, whose services have been terminated before the issue of this order or who have attained the age of superannuation and retired from 1st July, 2017 upto the date of issue of the GO or who are due to retire within next six months.

Yours faithfully, Mukesh Mittal Secretary

#### No. -10/2017-P.C.-1-791(1)/X-2017, Evan dated

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

- (1) Accountant General (A&E)-1 &2 and (Audit)-1 & 2, Uttar Pradesh, Allahabad.
- (2) All Addl Chief Secretary/Prl Secretary/ Secretary, Government of Uttar Pradesh.
- (3) All Chief/Sr Treasury Officer, Uttar Pradesh

(4) Sr Research Officer (Pay Research Unit), Government of India, Ministry of Finance, (Expenditure Department) Room No. 261, North Block, New Delhi-110001

(5) Prl Secretary to the Honourable Governor, Lucknow

(6) Prl Secretary, Legislative Assembly/Council, Uttar Pradesh, Lucknow

(7) Registrar General, High Court, Allahabad

(8) Regional Provident Fund Commissioner, Kanpur

- (9) Addl Director, Treasury Camp Office, Navin Koshagar Bhawan (First Floor), Kachhari Road, Allahabad
- (10) Director, Panchayati Raj (Accounts) Indira Bhawan, Uttar Pradesh, Lucknow (with 90 extra copies to be sent to all Financial Advisors, District Panchayats, Uttar Pradesh)

(11) Director, Local Fund Audit, Uttar Pradesh, Allahabad

(12) Director, Information, Uttar Pradesh, Lucknow

(13) Education Section-3,5,6,8 & 11, Higher Education Section-2 & 4 Technical Education Section-1&2, Urban Development Section-1 & Panchayati Raj Section-1, Public Enterprises Section-1&2 (with extra copies)

(14) IRLA Check Section/IRLA Check (Pay Slip Cell)

(15) Finance (E-6), Finance (Gen.) Section-1&2, Reorganisation Co-ordination Section, Medical Section-2, Agriculture Section-8, Panchayati Raj Section-3, Housing Section-2, Urban Development Section-3

(16) All other sections of Secretariat

(17) Accountant General, Uttarakhand, Dehradun

By orders,

K L Varma Deputy Secretary